(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1010–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–12–2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 06/अपील/2013–14

शबनम कोल पुत्री गोकुल कोल
निवासी–वार्ड नं0 11 अनूपपुर
तहसील अनूपपुर, जिला–अनूपपुर

..... आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती सुखमंती कोल
निवासी–शांती नगर अनूपपुर
तहसील अनूपपुर, जिला–अनूपपुर

..... अनावेदिका

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01 अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर अनूपपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, मोहनलाल रौतेल (कोल) प्रांतीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति संस्थान द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल को शिकायती आवेदन पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि ग्राम अनूपपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 632/11 ख रकबा 0.032 है0 एवं 632/11 घ रकबा 0.016 है0 जो

सुखमंती कोल की पुस्तैनी भूमि है, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि 632/11 घ रकबा 0.016 पर आवेदिका शबनम कोल ने मकान एवं बाड़ी तोडकर बलपूर्वक अपना कब्जा कर लिया है, अतः उसे कब्जा वापस दिलाये जाये। सचिव म0प्र0 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने पत्र कमांक/शिका210/अनूपपुर/2013/237 भोपाल दिनांक 3–2–14 को कलेक्टर अनूपपुर को प्रेषित कर शबनम (किन्नर) द्वारा फर्जी कोल जाति बनकर एक आदिवासी की जमीन पर किये गये कब्जे को बेदखल की कार्यवाही की जाकर वास्तविक भूमिस्वामी को कब्जा दिलाये जाने बावत लिखा। उक्त पत्र के आधार पर दिनांक 02–12–2013 को कलेक्टर अनूपपुर ने अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर द्वारा धारा 170(ख) के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 264/अ–23/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 5–12–12 के विरूद्ध उत्तरवादी शबनम पिता गोकुल कोल निवासी अनूपपुर के नाम अपील प्रकरण संस्थित करने का आदेश दिया तथा स्वमेव अपील ग्राह्य कर आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने एवं अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख की मांग के आदेश दिये। कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 02–12–2013 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में कुंवारे पिता अधनिया कोल के नाम से 58–59 से दर्ज थी। प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका ने कुंवारे से वर्ष 1988–89 में रजिस्टर्ड सेलडीड से कय की। पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर द्वारा दिनांक 27–2–2003 को संहिता की धारा 170(ख) का प्रकरण दर्ज किया था जिसपर आवेदिका को नोटिस जारी किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5–12–2012 में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी शबनम कोल पिता गोकूल कोल के गैर आदिवासी होने

व प्रश्नाधीन भूमि के कृषि भूमि संबंधी तथ्य की पुष्टि नहीं होती है प्रकरण में संहिता की धारा 170 (ख) के प्रावधान लागू न होने से खारिज किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं होने से वह अंतिम हो गया है। यह भी तर्क दिया कि मोहनलाल रौतेल ने अनुसूचित जनजाति आयोग को आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे आयोग ने कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया था। कलेक्टर के यहां अनावेदिका सुखमंती ने अपील प्रस्तुत नहीं की थी। कलेक्टर ने अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र पर प्रकरण को स्वमेव अपील में दायर किया। संहिता में स्वमेव अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग स्वयं पक्षकार नहीं है इसलिए अपील प्रचलन योग्य नहीं थी तथा कलेक्टर को भी प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था। संहिता की धारा 41(9) एवं 41(10) तथा धारा 44 में में अपील किस प्रकिया अनुसार प्रस्तुत की जाएगी इसका प्रावधान किया गया है उसका पालन भी नहीं किया गया। अतः कलेक्टर का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। कलेक्टर के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने सचिव म0प्र0 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने पत्र कमांक/शिका210/अनूपपुर/2013/237 भोपाल दिनांक 3–2–14 पर संहिता की धारा 170(ख) के अन्तर्गत अपील प्रकरण कमांक 06/अपील/2013–14 सुखमंती कोल एवं शासन विरूद्ध सबनम पिता गोकुल के नाम से पंजीबद्ध किया। यह भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायती पत्र श्री मोहनलाल कोल प्रान्तीय उपाध्यक्ष, कोल

जनजाति विकास संस्थान भोपाल द्वारा प्रेषित किया गया था जिस पर तथ्यों की जांच तथा यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कलेक्टर अनूपपुर को भेज गया था, जिस पर कलेक्टर ने कार्यवाही प्रारम्भ की। कलेक्टर के प्रकरण में सुखमन्तीकोल द्वारा आयोग को प्रेषित कोई शिकायती पत्र भी संलग्न नहीं है जिसे आवेदिका (अपीलार्थी) के रूप में बताया गया है। आवेदिका के अभिभाषक द्वारा संहिता की धारा 41(9) एवं 41(10) तथा धारा 44 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा स्वमेव अपील सुनवाई में लेने का तर्क दिया है।

संहिता की धारा 41 के नियम 9 में प्रावधानित किया है कि *"9. अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन–प्रत्येक अपील तथा पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन हेतु प्रत्येक आवेदन अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या उसके अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित अथवा यदि याचिकाकर्ता या आवेदनकर्ता निरक्षर है, एक साक्षर व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित उसके अंगूठे के चिन्हयुक्त ज्ञापन के रूप में किया जाएगा तथा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 39 के उपबंधों के अनुसार राजस्व अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे वह इस बारे में नियुक्त करे, प्रस्तुत किया जाऐगा।"*

इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 41(10) में प्रावधानित है कि–

"ऐसे प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण के हेतु आवेदन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जिसके विरूद्ध अपील की गई हो या जिसका पुनरीक्षण चाहा गया हो। जहां ऐसा आदेश स्वयं में पूर्ण नहीं है तथा अपने कारण के हेतु किसी अन्य प्रतिवेदन या आदेश का निर्देश करता है या अन्यथा उस पर आधारित है, स्वयं आदेश के साथ–साथ ऐसा प्रतिवेदन या आदेश की प्रतिलिपि भी निवेशित की जाएगी।"

संहिता की धारा 44 में भी स्पष्ट किया गया है कि– *"आ. अपील करने का अधिकर– अपील में किसी मामले को सुनना किसी वरिष्ठ न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति नहीं है, न किसी पक्षकार का यह मूलभूत या नैसर्गिक न्याय का अधिकार है कि वह अपने मामले को अपील में ले जाए; यह अधिकार अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंध द्वारा ही दिया जा सकता है, अर्थात अपील अधिनियमिति की सृष्टि है।"*

विचाराधीन प्रकरण में अनावेदिका सुखवंती कोल द्वारा न तो स्वयं और न ही उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता/अभिभाषक द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की थी अपितु अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर कलेक्टर ने स्वमेव अपील प्रकरण पंजीबद्ध किया था जो विधिअनुकूल नहीं था। संहिता में स्वमेव अपील प्रकरण प्रावधान नहीं है। जहां तक संहिता की धारा 170(ख) के उल्लघंन का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के वर्ष 2002–03 में संहिता की धारा 170(ख) के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत जांच करने के उपरांत आदेश दिनांक 5–12–2012 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी शबनम कोल के गैर आदिवासी होने तथा प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि सम्बन्धी तथ्य की पुष्टि नहीं होने से प्रकरण में संहिता की धारा 170 (ख) के प्रावधान लागू न होने से खारिज किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील अथवा निगरानी नहीं होने से अंतिम है। इस प्रकार इस प्रकरण में– 1.शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं कोई शिकायत कलेक्टर अथवा अनुसूचित जनजाति आयोग को की गई है ऐसा कोई पत्र भी कलेक्टर प्रकरण में संलग्न नहीं है न ही कोई अपील की गई है। 2. कलेक्टर द्वारा अपील स्वमेव ली गई है जिसका प्रावधान संहिता में नहीं है। 3. विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है ऐसा भी स्पष्ट नहीं है अपितु कलेक्टर के विचाराधीन प्रकरण में उल्लिखित शिकायत में मकान एवं बांउड्री तोडकर सांई मंदिर

बनाने का उल्लेख है जिससे स्पष्ट होता है कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि नहीं है। अतः उस पर संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा विचाराधीन प्रकरण में की गई कार्यवाही अवैधानिक होने से प्रचलन योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर अनूपपुर का आदेश दिनांक 02–12–2013 निरस्त किया जाता है तथा उसके पालन में की गई पश्चातवर्ती कार्यवाही भी समाप्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर